रेलवे भर्ती बोर्ड:: सिकंदराबाद

सीईएन सं..07/2024 (एम एवं आईसी)

श्रेणी संख्या 54 (दमरे) - कनिष्ठ अनुवादक (हिंदी) पद के लिए दिनांक 07.05.2026 के अनंतिम परिणाम और दिनांक 08.05.2026 के डीवी सूचना हेतु शुद्धि पत्र।

श्रेणी संख्या 54 (दमरे) अर्थात् कनिष्ठ अनुवादक (हिंदी) पद के लिए दिनांक 07.05.2026 को प्रकाशित परिणाम में आंशिक संशोधन करते हुए, रोल नंबर **287241220394951** वाले 01 (एक) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी गलती से शामिल किया गया था। अब मेरिट और पद वरीयता के अनुसार रोल नंबर **287241280165409** वाले अभ्यर्थी को योग्य पाया गया और इनको रोल नंबर 287241220394951 के स्थान पर अनंतिम रूप से परिणामों में शामिल किया गया है।

तदनुसार, संशोधित अनारक्षित दिनांक 07.05.2026 को प्रकाशित कट-ऑफ अंक **74.74747** के बदले अब **75.08417** घोषित किए गए हैं। हालांकि, श्रेणी संख्या 54 (दमरे) अर्थात् कनिष्ठ अनुवादक (हिंदी) पद के लिए दिनांक 07.05.2026 को प्रकाशित परिणामों और कट-ऑफ अंकों में उल्लिखित शेष परिणाम, कट-ऑफ अंक, नियम और शर्तें यथावत हैं।

इसके अलावा, श्रेणी संख्या 54 (दमरे) अर्थात् कनिष्ठ अनुवादक (हिंदी) के पद के लिए दिनांक 08.05.2026 को प्रकाशित दस्तावेज़ सत्यापन सूचना में रोल नंबर **287241220394951** को गलती से शामिल किया गया और उन्हें सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय पर होने वाले दस्तावेज़ सत्यापन में उपस्थित न हों और यदि उन्हें डीवी कॉल लेटर डाउनलोड/प्राप्त हुआ हो तो उसे अनदेखा करें। रोल नंबर **287241280165409** वाले अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे दिनांक 21.05.2026 को या 08.06.2026 को निर्धारित ब्लॉक तिथि को होने वाले दस्तावेज़ सत्यापन में उपस्थित हों। हालांकि, दिनांक 08.05.2026 की सत्यापन सूचना में उल्लिखित शेष नियम एवं शर्तें यथावत है।

महत्वपूर्ण:

i) **यह परिणाम अनंतिम है और इससे अभ्यर्थियों को रेलवे में नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यह रेलवे भर्ती बोर्ड किसी भी अनजाने त्रुटि/ टाइपोग्राफिकल गलती की स्थिति में परिणाम को रद्द / संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, यदि किसी अभ्यर्थी का नाम पैनल में शामिल किया जाता है या उसे नियुक्त किया जाता है, तो रेलवे भर्ती बोर्ड परिणाम रद्द / संशोधित करने और ऐसे अभ्यर्थियों के पैनल में शामिल होने को रद्द / संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और यदि पहले ही नियुक्त होने की स्थिति में योग्यता और समान अवसर के सिद्धांत को मूलभूत आधार मानते हुए उसे सेवा से हटाया जा सकता है।**

ii) यदि कोई अभ्यर्थी चयन के लिए अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो उसकी नियुक्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी और उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, उसे रेलवे में किसी भी प्रकार की नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और यदि वह पहले से ही नियुक्त है तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

अधोहस्ताक्षरी/-

दिनांक:13.05.2026

अध्यक्ष

रेलवे भर्ती बोर्ड/सिकंदराबाद